न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर, (आर0ए0एस0)
रास्ता प्रा0पत्र सं0 : 43 सन 2015
अनवान :–

1. श्योलाल पुत्र केशाराम जाति नायक निासी जसाना तहसील नोहर

प्रार्थी

बनाम

1. हेतराम 2. शंकरलाल 3. दौलतराम 4. महावीर पि0 श्योलाल जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर हाल निवासी बन्नावाला तहसील डबबाली
2. असल प्रतिवादी
5. मनीराम पुत्र केशाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. शंकर पुत्र मनीराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
7. मेसर पत्नि स्व जगदीश जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
8. विनोद पुत्र जगदीश जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।
9. निकूराम पुत्र केशाराम जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर ।
10. सुखी पुत्री केशा जाति नायक निवासी जसाना तहसील नोहर।

गैर सायलान

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) बाबत स्वीकृत करवाने बाबत।

उपस्थिति :– श्री राजपाल झोरड अभिभाषक, सालय
श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता गेरसायल न0 1 ता 4

निर्णय दिनांक :– 16/03/2020

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायलान प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर0टी0एक्ट0 इस आशय का पेश किया कि सायलान की मुश्तरका खाते की भूमि रोही मौजा चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 110/90 के प0न0 316/392(54) के किला न0 6 ता 8 , 18 ता 23 कुल 2.4541हैक जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा चक 2 आरपीएम के प0न0 317/391(50) के किला न0 14 ,16 ,17 ,24 ,25/1.1891हैक प0न0 318/391(51) किला न0 11 ,19 ,20 ता 22 व प0न0 317/392(53) के किला न0 4 ,5 कुल 8.0960हैक भूमि जिसका अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी के पिता की चक 2 आरपीएम के मुश्तरका खाते प0न0 319/392(53) के किल न0 17 ता 19 व 12 ता 24 प0न0 316/392(54) के किला न0 24 ,25 व प0न0 315/393(56) के किला न0 6 ,7 ,14 ता 17 व प0न0 316/393(57) के किला न0 3 ता 13 ,18 ता 20 प00न0 317/393(58) किला न0 1 ता 4 व 7 कुल 8.6020हैक भूमि जिसमें प्रार्थी के पिता की 10 बीधा कृषि भूमि है चुकि प्रार्थी के पिता का देहान्त हो चुका है इसलिये प्रार्थी व गैरसायल संख्या 5 ,6 ,9 ,10 बहिब के खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी अपनी खरीदशुद्वा भूमि में चक 2 आरपीएम के प0न0 316/393(54) में आने के लिए गैरसायल न0 1 ता 4 के खेत के मु0न0 53 में उतर से दक्षिण की तरफ मंजुर शुद्वा रास्ता से चल कर किला न0 25 में दक्षिण से उत्तर पूर्वी तरफ होकर अपने खेत में प्रवेश करता है यही सुविधाजनक रास्ता है।

चुकि मु0न0 53 के किला न0 21 ता 24 व मु0न0 54 के किला न0 25 में प्रार्थी स्वय की भूमि है जिसमें प्रार्थी की 2.10 बीधा हिस्से में आती है।

प्रार्थी उक्त रास्ता के अलावा आवागमन के लिये अन्य कोई रास्ता नही है प्रार्थी हमेशा से इसी रास्ते से अपने खेत में आता जाता है।

चुकि बाकी भूमि तो प्रार्थी की मुश्तरका खाते की भूमि है व प0न0 317/392(53) के किला न0 25 की भूमि गैरसायल न0 1 ता 4 की है जहॉ से प्रार्थी आवागमन करता है गैरसायल न0 1 ता 4 आवागमन में बाधा उत्पन्न करते है जिससे प्रार्थी अपने खेत में आ जा नही सकता है प्रार्थी अपने खेत में आने जाने के लिये उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी रास्ते की भूमि के बदले में भूमि एवं बाजार भाव मुल्य जो अप्रार्थी या न्यायालय चाहे देने को तैयार है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रोही मौजा चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 132/110 के प0न0 317/392(53) के किला न0 25 में पूर्व से पश्चिम दक्षिण में प0न0 317/392 (53) किला न0 21 ता 24 पूर्व से पश्चिम दक्षिण तरफ प0न0 316/392 के मु0न0 (54) किला न0 25 में दक्षिणी से उत्तर की तरफ पूर्वी तरफ 1–1 गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 ता 10 के विरूद्व किसी प्रकार की रिलिफ नही होने के कारण वकील प्रार्थी ने तर्क किया तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

रोही मौजा चक 2 आरपीएम के प0न0 317/392(53) किला न0 25 ,24 ,23 ,22 ,21 में पूर्व से पश्चिम प0न0 316/392(54) किला न0 25 दक्षिण से उत्तर की तरफ कभी भी सायल का आवागमन नही रहा है ना ही यह रास्ता नजदीकी है व सुविधाजनक है ना ही रास्ता चालू है ना ही रास्ता स्वीकृत है सायल ने मनगढत तथ्य प्रार्थना पत्र में अंकित कर सायल को तगं व परेशान किया जा रहा है उक्त रास्ता से अप्रार्थी के खेत के टूकडे हो जायेगे प0न0 317/392(53) किला न0 25 ,24 ,23 ,22,21 में पानी लगाने की आड बनी हुई है एवं मौके पर चालू है वहा पर किसी भी प्रकार से रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता है सायल द्वारा चाहा जा रहा रास्ता 7 किलों में है जबकि सायल के नजदीकी रास्ता प0न0 316/393(57) के किला न0 23 ,18 ,13 ,8 ,3 में पश्चिमी साईड से दक्षिण से उत्तर है जिसमें केवल 5 किलों में ही रास्ता स्वीकृत करवाना पडेगा जो सायल के लिये नजदीकी है प0न0 317/393(58) के किला न0 5 में दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 अपनी भूमि में से रास्ता देने के लिये सहमत है बदले में सायल चिपती हुई भूमि देनी होगी प0न0 317/393 (58) में रास्ता स्वीकृत होने से सायल अपने मुश्तरका खाते की भूमि प्रवेश कर सकता है अतः सायल का प्रार्थना पत्र सही तथ्यों के आधार पर पेश नही किया गया सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जबाब अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 110/90 के प0न0 316/392(54) के किला न0 6 ता 8 , 18 ता 23 कुल 2.4541हैक जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा चक 2 आरपीएम के प0न0 317/391(50) के किला न0 14 ,16 ,17 ,24 ,25/1.1891हैक प0न0 318/391(51) किला न0 11 ,19 ,20 ता 22 व प0न0 317/392(53) के किला न0 4 ,5 कुल 8.0960हैक भूमि जिसका अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी के पिता की चक 2 आरपीएम के मुश्तरका खाते प0न0 319/392(53) के किल न0 17 ता 19 व 12 ता 24 प0न0 316/392(54) के किला न0 24 ,25 व प0न0 315/393(56) के किला न0 6 ,7 ,14 ता 17 व प0न0 316/393(57) के किला न0 3 ता 13 ,18 ता 20 प00न0 317/393(58) किला न0 1 ता 4 व 7 कुल 8.6020हैक भूमि जिसमें प्रार्थी के पिता की 10 बीधा कृषि भूमि है चुकि प्रार्थी के पिता का देहान्त हो चुका है इसलिये प्रार्थी व गैरसायल संख्या 5 ,6 ,9 ,10 बहिब के खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी अपनी खरीदशुद्वा भूमि में चक 2 आरपीएम के प0न0 316/393(54) में आने के लिए गैरसायल न0 1 ता 4 के खेत के मु0न0 53 में उतर से दक्षिण की तरफ मंजुर शुद्वा रास्ता से चल कर किला न0 25 में दक्षिण से उत्तर पूर्वी तरफ होकर अपने खेत में प्रवेश करता है यही सुविधाजनक रास्ता है।

चुकि मु0न0 53 के किला न0 21 ता 24 व मु0न0 54 के किला न0 25 में प्रार्थी स्वय की भूमि है जिसमें प्रार्थी की 2.10 बीधा हिस्से में आती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रोही मौजा चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 132/110 के प0न0 317/392(53) के किला न0 25 में पूर्व से पश्चिम दक्षिण में प0न0 317/392 (53) किला न0 21 ता 24 पूर्व से पश्चिम दक्षिण तरफ प0न0 316/392 के मु0न0 (54) किला न0 25 में दक्षिणी से उतर की तरफ पूर्वी तरफ 1–1 गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के आदेश फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 2 आरपीएम के प0न0 317/392(53) किला न0 25 ,24 ,23 ,22 ,21 में पूर्व से पश्चिम प0न0 316/392(54) किला न0 25 दक्षिण से उत्तर की तरफ कभी भी सायल का आवागमन नही रहा है ना ही यह रास्ता नजदीकी है व सुविधाजनक है ना ही रास्ता चालू है ना ही रास्ता स्वीकृत है सायल ने

मनगढत तथ्य प्रार्थना पत्र में अंकित कर सायल को तगं व परेशान किया जा रहा है उक्त रास्ता से अप्रार्थी के खेत के टूकडे हो जायेगे प0न0 317/392(53) किला न0 25 ,24 ,23 ,22,21 में पानी लगाने की आड बनी हुई है एवं मौके पर चालू है वहा पर किसी भी प्रकार से रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता है सायल द्वारा चाहा जा रहा रास्ता 7 किलों में है जबकि सायल के नजदीकी रास्ता प0न0 316/393(57) के किला न0 23 ,18 ,13 ,8 ,3 में पश्चिमी साईड से दक्षिण से उत्तर है जिसमें केवल 5 किलों में ही रास्ता स्वीकृत करवाना पडेगा जो सायल के लिये नजदीकी है प0न0 317/393(58) के किला न0 5 में दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 अपनी भूमि में से रास्ता देने के लिये सहमत है बदले में सायल चिपती हुई भूमि देनी होगी प0न0 317/393 (58) में रास्ता स्वीकृत होने से सायल अपने मुश्तरका खाते की भूमि प्रवेश कर सकता है अतः सायल का प्रार्थना पत्र सही तथ्यों के आधार पर पेश नही किया गया सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 दोनो ही राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार है तथा एक दुसरे के चिपते हुए पडोसी खातेदार काश्तकार है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एंव नजरी नक्शा के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की खातेदारी भूमि के मु0न0 53 के किला न0 5 ,6 ,15 ,16 ,25 में स्वीकृत शुद्वा रास्ता है जिसे अप्रार्थी भी स्वीकार करते है।

खातेदार काश्तकार जो राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है को उसी भूमि तक जाने के लिये रास्ता दिया जाना न्यायोचित है प्रस्तुत नजरी नक्शों के अनुसार प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि तक जाने के लिये रास्ता नही है किसी भी खातेदार काश्तकार को उसी भूमि तक आवागमन करने के लिये रास्ता दिया जाना न्यायोचित है।

सायल अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 132/110 के प0न0 317/392 (53) के किला न0 25 में पूर्व से पश्चिम दक्षिणी तरफ प0न0 317/392 (53) के किला न0 21 ता 24 में पूर्व से पश्चिम दक्षिणी तरफ प0न0 316/392 (54) के किला न0 25 में दक्षिणी से उतर की तरफ पूर्वी तरफ 1–1 गठठा रास्ता चाहता है।

अप्रार्थी का कथन है कि उक्त रास्ता 7 किलों में स्वीकृत करवाना पडेगा जबकि प्रार्थी के लिये सुविधा जनक रास्ता प0न0 316/393 (57) किला न0 23 ,18 ,13 ,8 ,3 में केवल 5 किला में स्वीकृत करवाना होगा अप्रार्थी का कथन सही नही है क्योकि अप्रार्थी ने जो रास्ता बताया गया है वह प0न0 लाईन पर नही है व अन्य खातेदारों की भूमि के बीच में से है जिससे अन्य खातेदारों की भूमि के टूकडे होगे अप्रार्थी ने यह भी अंकित नही किया की प्रार्थी उक्त किलो तक किस रास्ते आवेगा जब उक्त किला नम्बर तक आने का रास्ता ही नही होगा तो अप्रार्थी के द्वारा बताया गया रास्ता स्वीकृत करने का ऑचित्य ही नही होगा।

गैरसायल न0 9 ने प्रार्थना पत्र मय जबाब बहस होने के बाद पत्रावली निर्णय हेतु दिनांक तक होने के बाद प्रस्तुत किया गया है जबकि गैरसायल संख्या 9 को पहले ही तर्क किया जा चुका है उसके जबाब का पत्रावली निर्णय हेतु निर्धारित होने के बाद पेश किये जाने का कोई औचित्य नही है।

यहा यह उल्लेखनिय है कि जहॉ तक सम्भव हो रास्ता प0न0 लाईन पर दिया जाना चाहिये प्रार्थी के द्वारा भी पत्थर लाईन पर ही रास्ता चाहा गया है एवं जहॉ से रास्ता चाहा गया है वहॉ तक स्वीकृत शुद्वा रास्ता है।

प्रार्थी के द्वारा जहॉ से रास्ता चाहा जा रहा है वहॉ के किला न0 21 ता 24 उसकी स्वय की भूमि मुश्तरका खाते में है अर्थात प्रार्थी अन्य खातेदार अप्रार्थी की केवल किला न0 5 में से ही रास्ता चाहता है जो न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 2 आरपीएम के खाता संख्या 132/110 के प0न0 317/392 (53) के किला न0 25 में पूर्व से पश्चिम दक्षिणी तरफ प0न0 317/392 (53) के किला न0 21 ता 24 में पूर्व से पश्चिम दक्षिणी तरफ प0न0 316/392 (54) के किला न0 25 में दक्षिणी से उतर की तरफ पूर्वी तरफ 1–1 गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा प्रार्थी उक्त रास्ते में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 को उसकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे इसी आश्य का आदेश तहसीलदार राजस्व नोहर के नाम जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

आदेश आज दिनांक 16/3/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी